भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं० *338 (8वीं स्थिति)
दिनांक 03.04.2017 को उत्तर दिए जाने के लिए

जनजातीय और पिछड़े हुए क्षेत्रों में साफ–सफाई की सुविधाएं

***338. श्री तिरुची शिवाः**

क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा देश के जनजातीय और पिछड़े हुए क्षेत्रों में साफ–सफाई की सुविधाओं में सुधार करने के लिए क्या–क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान इसके लिए आवंटित और प्रयुक्त धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ख) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनाँक 03.04.2017 को उत्तर दिए जाने के लिए राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं० *338 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (एसबीएम (जी)) की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी, जिसका लक्ष्य दिनांक 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत की प्राप्ति करना है। स्कीम का फोकस व्यवहारगत परिवर्तन और शौचालयों के उपयोग पर है। देश के जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों को पर्याप्त प्राथमिकता दी जा रही है। प्रतिवर्ष अनुसूचित जनजाति(अ.ज.जा) के लिए कुल आबंटन का 10% आरक्षित रखा जाता है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दिशा निर्देशों के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों (बीपीएल) के साथ गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) के अनुसूचित जाति श्रेणी के परिवारों के लिए वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों के निर्माण हेतु प्रोत्साहन का प्रावधान है। अनुसूचित जनजाति की प्रधानता वाले तथा पिछड़े क्षेत्रों में प्राप्त प्रगति की अलग से निगरानी की जाती है।

(ख) चूँकि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एक मांग आधारित स्कीम है, अतः राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार निधियां आबंटित नहीं की जाती हैं। एसबीएम (जी) के अंतर्गत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी की जाती हैं। जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों के लिए अलग से निधियां जारी नहीं की जाती हैं। तथापि, पिछले 3 वर्षों के दौरान एसबीएम (जी) के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी केंद्रीय अंशदान **अनुलग्नक-1** पर है।

अनुलग्नक-1

दिनांक 03-04-2017 को उत्तर दिए जाने हेतु राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 338 के उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित विवरण

पिछले 3 वर्षों के दौरान एसबीएम (जी) के अंतर्गत जारी किया गया राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार केंद्रीय अंशदान (करोड़ रु. में)			
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	3.40
आंध्र प्रदेश	145.24	116.10	234.17
अरुणाचल प्रदेश	5.19	14.61	38.71
असम	41.81	185.78	474.27
बिहार	0.00	0.00	221.55
छत्तीसगढ़	0.00	28.12	144.72
दादरा एवं नगर हवेली	0.00	0.00	0.00
गोवा	0.00	0.00	1.05
गुजरात	52.64	156.07	478.22
हरियाणा	131.18	5.93	32.76
हिमाचल प्रदेश	30.50	130.17	4.37
जम्मू एवं कश्मीर	39.57	103.08	4.05
झारखंड	0.00	23.05	97.32
कर्नाटक	65.95	312.54	450.77
केरल	43.01	33.97	8.50
मध्य प्रदेश	660.39	0.00	374.33
महाराष्ट्र	36.46	236.11	567.45
मणिपुर	0.00	9.18	44.19
मेघालय	103.04	0.00	35.65
मिजोरम	8.06	0.00	3.32
नागालैंड	0.00	20.87	10.83
ओडिशा	0.00	65.84	571.50
पुडुचेरी	0.00	2.00	4.40
पंजाब	0.00	0.00	38.70
राजस्थान	0.00	271.57	938.73
सिक्किम	8.25	3.89	6.12
तमिलनाडु	311.92	205.12	78.94
तेलंगाना	0.00	105.62	128.39
त्रिपुरा	14.01	50.65	38.89
उत्तर प्रदेश	376.32	237.99	565.39
उत्तराखंड	5.28	40.52	49.37
पश्चिमी बंगाल	111.47	371.52	712.92
	2190.28	**2730.30**	**6362.96**